पत्रिका

न्यायालय के आदेश पर गांधीनगर पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक सहित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया अपराध

सुअर फार्म बाउंड्रीवॉल निर्माण में अनियमितता, 10 लोगों पर केस दर्ज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

अंबिकापुर. सुअर फार्म सकालो में बाउंड्रीवॉल निर्माण में अनियमितता को लेकर न्यायालय के आदेश पर गांधीनगर पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक और कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में मेसर्स आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर दीपांशु राज, तत्कालीन सहायक अभियंता उपेंद्र सिंह सेंगर, कार्यपालन अभियंता आरपी कुटार सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया है। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (गबन), 467 (जालसाजी), 468 (जालसाजी का प्रयास), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

मामला तब सामने आया जब गोधनपुर निवासी रोहित सिंह ने न्यायालय में परिवाद दायर कर यह आरोप लगाया कि कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंबिकापुर ने वर्ष 2022-23 में सुअर फार्म सकालो में बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य के लिए 29 जुलाई 2019 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी। इस कार्य का अनुबंध मेसर्स आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर दीपांशु राज से ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, जिसमें 30.35 प्रतिशत कम दर पर टेंडर हुआ।

धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप

रोहित सिंह के अनुसार, ठेकेदार और अधिकारियों के बीच मिलीभगत से यह कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आरोप है कि निविदा प्राक्कलन में कॉइल तार का काम नहीं था, लेकिन ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए इसे शामिल किया गया। अधिकारियों ने यह बदलाव करके शासकीय राशि में गबन किया। विशेष रूप से, 60,000 रुपये के काम को बढ़ाकर 7,17,000 रुपये कर दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि कार्यपालन अभियंता द्वारा ठेकेदार को 4 लाख 52 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जो नियमों के खिलाफ था।

इनके खिलाफ अपराध दर्ज

मामले में न्यायालय के आदेश पर 10 लोगों पर जुर्म दर्ज किया गया है। इनमें दीपांशु राज (प्रोप्राइटर, मेसर्स आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन, गोधनपुर), उपेंद्र सिंह सेंगर (तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंबिकापुर), विवेक प्रताप सिंह राठौर (उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग अंबिकापुर), आरपी कुटार (कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंबिकापुर), डीके मिंज (अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग लखनपुर), शैलेंद्र भारती (अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग उदयपुर), अविनाश राज सिन्हा (उप अभियंता, जनपद पंचायत लखनपुर), जीएम सिंह (अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरगुजा मंडल अंबिकापुर), मानस गुप्ता (अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरगुजा मंडल अंबिकापुर) व फरहत खान (उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरगुजा मंडल अंबिकापुर) शामिल हैं।

10/07/2025 | Ambikapur | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/